(7)

अपर उपायुक्त का न्यायालय, सरायकेला–खरसावॉ।

आदेश फलक

आदेश पत्रक ता0 .....
जिला-सरायकेला-खरसावॉ
SAR अपील वाद सं0- 01/21-22
केस का प्रकार - शमीम अहमद मदनी वनाम कोकिल मांझी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

22/07/2022

आवेदक शमीम अहमद मदनी, पिता सव0 अहमद मदनी, निवासी- रोड नं0-10/ए, मकान सं0-05, आजादनगर, मानगो, थाना- आजादनगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम,जमशेदपुर ने एस0ए0आर0 वाद सं0- 10/2021-22 में दिनांक-09.10.2021 को विद्वान अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। इस वाद के विपक्षी कोकिल मांझी, पिता- स्व0 ज्योति मांझी, ग्राम-कमारगोड़ा, पो0-कपाली, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खरसावॉ है।

वादग्रस्त भूमि का विवरण इस प्रकार है-

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
कपाली	332	125	264	10 डी0
			265	36 डी0
			246	19 डी0
			1850	30 डी0
			270	68 डी0
			269	39.8 डी0
			42	23.9 डी0
			43	25.6 डी0
			कुल -	252.3 डी0

वाद सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया एवं उभय पक्षों को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल LCR प्राप्त किया गया।

उभय पक्षों द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.10.2021 को मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर एस0ए0आर0 वाद सं0-10/21-22 में दिनांक 09.10.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध पक्ष रखा गया है-

1. निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना साक्ष्य एवं तथ्यों के पारित है।
2. निम्न न्यायालय द्वारा भूलवश प्रतिवादी को प्रतिवेदित भूमि का मालिक बतलाया गया है।
3. निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु नोटिस नहीं दिया गया है और Written Statement दायर करने हेतु अवसर भी नहीं दिया गया है।
4. निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पक्ष नहीं सुना गया है।
5. खाता नं0-125, प्लॉट नं0 क्रमशः-46,269 एवं 270 में अपीलार्थी का पक्का मकान एवं बाउण्ड्रीवॉल वर्ष 1984 से है।
6. अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल के द्वारा CNT Act 1908 की धारा 71(A) के

तहत पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है।

7. CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान नहीं किया गया है। मूल अभिलेख में भी वर्णित है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द करने योग्य है।
8. निम्न न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खेसरावार भूमि पर दखल किसका है।
9. निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, चाण्डिल के प्रतिवेदन के आलोक में आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई भी साक्ष्य नहीं है।

उक्त के प्रत्युत्तर में दिनांक-03.12.2021 एवं दिनांक 27.04.2022 को अपील वाद के प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर पक्ष रखा गया है -

1. निम्न न्यायालय के अभिलेख के अनुसार अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-850, दिनांक 09.10.2021 के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि वादग्रस्त भूमि चन्द्र मांझी, पिता-स्व0 मांझी एवं अर्जुन मांझी, पिता श्रवण मांझी के नाम पर पंजी-2 में दर्ज है। अपील वाद के प्रतिवादी पंजी-2 रैयत के परिवार के सदस्य हैं। यह भूमि अनुसूचित जनजाति खाते की भूमि है जिसका किसी प्रकार का खरीद बिक्री आदि किये जाने पर CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत भू-वापसी का प्रावधान है।
2. निम्न न्यायालय द्वारा Written Statement दायर करने हेतु निर्धारित तिथि को अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. Transfer of Property Act की धारा-54 के अनुसार एकरारनामा स्वत्व दस्तावेज नहीं है। एकरारनामा आदि स्वतः वैध नहीं है।
4. वादग्रस्त भूमि आदिवासी खाते की भूमि है इसलिए इस भूमि का एकरारनामा या अन्तरण CNT Act 1908 की धारा 46(1) का उल्लंघन है। अपीलार्थी के द्वारा समर्पित memo of appeal में किसी प्रकार का merits नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 27.04.2022 को पुनः मुख्यतः निम्न विन्दुओं पर लिखित पक्ष रखा गया है -

1. निम्न न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का पक्ष रखने हेतु नोटिस नहीं दिया है। अपीलार्थी को भू वापसी वाद की जानकारी होने पर स्वयं से निम्न न्यायालय में दिनांक 05.10.2021 को उपस्थिति दर्ज करायी गई है। परंतु निम्न न्यायालय द्वारा पक्ष रखने हेतु समय नहीं दिया गया। दिनांक 05.10.2021 को अभिलेख में वर्णित आदेश साक्ष्य है।
2. निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाना Natural Justice का उल्लंघन है।
3. माननीय उच्च न्यायालय,पटना में Braj Kishor Pathak- Vrs- State of Bihar reported in 2006 Vol-II BBCJ Page-302 में वर्णित है कि "Admittedly it appears to be a case where no opportunity what-so-ever was given to the petitioner while passig the order"

"Considering the fact and circumstances of the case the order impugned as containing Annexure-V is held to be violative to the Pricnciple of natural justice and wholly without jurisdiction"

4. इसी प्रकार Honourable Apex Court in case of nawab Khan, Abbas Khan-Vrs-State of Gujrat reported in A.I.R. 1974 (S.C.) pare-1471 में वर्णित है कि "An order which infringed a fundamental freedom passed in violation of the Audi-Alterem-Partem Rule was nullity. A determination is no determination if it is contrary to the constitutional mandate of Articlle-19"
5- In another case reported in A.I.R. 1996 (S.C.) page-1669 the Honourable Apex Court में वर्णित है कि "Principle of Natural Justice cannot be reduce to any hard and fast formulae as said in Russell C.Dueke way back in 1949. The objective is to ensure a fair hearing a fair deal to the person whose rights going to be effected".

(9)

6. अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया। राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच में खाली भूमि प्रतिवेदित किया गया है जबकि भूखण्ड पर घर का निर्माण है। अपीलार्थी माह जून वर्ष 1983 से लगातार भूमि पर दखल में है।

7. अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 08.08.1984 से 30000/- रू0 में दखल प्राप्त किया गया है। लगभग 37 वर्षों से भूमि पर स्वत्व,अधिकार एवं दखल है जो Limitation Act में प्रभावित है। साथ ही इस हेतु माननीय जिला न्यायालय, सरायकेला में टाईटल सूट ओ0एस0 नं0-04/22 सुनवाई में लंबित है।

8. इसी प्रकार CNT Act 1908 के Section -71-A में वर्णित है कि "That if the transferee has within 30 years from the date of transfer, constructed any building or structure on such holding or portion thereof the Deputy Commissioner shall, if the transferer is not willing to pay the value of the same, order the transferee to remove the same within a period of 6 month from the date of order ....."
9. इसी प्रकार CNT Act 1908 के Section -71-A में वर्णित है कि "Provided also that if after an enquiry the Deputy Commissioner is satisfied that the transferee has acquired a Title by adverse possession and that the transferred land should be estored or resettled he shall require the transferor or his heir or another raiyat, as the case may be to deposit with the Deputy Commissioner such some of money as may be determined by the Deputy Commissioner having regard to be the amount for which the land was transferred or the market value of the land, as the case may be and the amount of any compensation for improvements effected to the land which the deputy Commissioner may deem fare and equitable."
10. इसी प्रकार Honourable High Court reported in 2009 Vol-III J.C.R. page-340, Jharkhand में वर्णित है कि "Applicability of period of limitation-initially the period of limitation of 12 years stood amended in the year of 1986-extending limitation period to 30 years-limitation for filing restoration petition would be 30 years."

अपीलार्थी के द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एस0ए0आर0 वाद सं0-10/21-22 में दिनांक 09.10.2021 को पारित आदेश निरस्त करने अथवा अपीलार्थी को उचित अवसर प्रदान कर पुनः afresh order पारित करने हेतु remand back करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित पक्षों को सुनने एवं देखने तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन उपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं -

1. हाल सर्वे खतियान 1964 में मौजा-कपाली, थाना सं0-332, खाता सं0-125, अंतर्गत भूमि हाल सर्वे खतियान 1964 में चन्द्र मांझी तथा जोती मांझी, पिता सूर्य माझी, अंश समान जाति-माझी, निवासी निज ग्राम दर्ज है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-850, दिनांक 09.10.2021 के अनुसार मौजा-कपाली, थाना सं0-332, खाता सं0-125 अंतर्गत रकवा-2.43 एकड़ भूमि चन्द्र माझी दीगर, पिता-सूर्य माझी के नाम पर पंजी-2 के जिल्द सं0-1 के पृ0सं0-125 में दर्ज है तथा खाता सं0-125, प्लॉट सं0- क्रमशः-43, 42, 269,270, रकवा क्रमशः- 0.22,0.23,0.20 एवं 0.34 एकड़, कुल रकवा-0.99 एकड़ भूमि नामांतरण वाद सं0-288/95-96 के द्वारा नामांतरित होकर पंजी-2 के जिल्द सं0-5, पृ0सं0-50 में अर्जुन मांझी, पिता-स्व0 श्रवण मांझी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है।
2. एस0ए0आर0 वाद सं0- 10/21-22 में दिनांक 05.10.2021 को पारित आदेश में उल्लेख है कि एस0ए0आर0 वाद के द्वितीय पक्ष द्वारा वकालतनामा एवं हाजरी दिया गया एवं अभिलेख आदेशार्थ रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 09.

(10)

10.2021 को आदेश पारित किया गया।

3. अपीलार्थी द्वारा दखल के आधार पर स्वामित्व संबंधी किया गया अनुरोध अस्वीकार्य है। यह निर्णय अधोहस्ताक्षरी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार माननीय सिविल कोर्ट है।
4. निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को निम्न न्यायालय द्वारा पक्ष रखने हेतु उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलवाद स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय को उभय पक्षों को उचित अवसर प्रदान कर afresh order पारित करने हेतु रिमाण्ड बैक किया जाता है।

आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चाण्डिल एवं अंचल अधिकारी, चाण्डिल को भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में व्यस्तता के कारण आज दिनांक 22/07/2022 को आदेश पारित किया गया।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित।

अपर उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

अपर उपायुक्त का न्यायालय सरायकेला-खरसावाँ

22/7/22

अपर उपायुक्त
सरायकेला-खरसावाँ ।

Digitally signed by SUBODH KUMAR
Date: 2022.08.04 12:54:44 +05:30
Location: 10.93.61.114